कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या 8/कृ0नि0यो0वि0–46/15 3869 /कृ0 पटना/ दिनांक 08-9-2016

प्रेषक,

हिमांशु कुमार राय, भा0प्र0से0
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी कृषि यंत्र निर्माता।

विषय :– **कृषि यंत्रों के संबंध में आवश्यक मार्ग निर्देश।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निम्न निर्देश दिये जाते है :–

(i) चायनिज पावर टीलर एवं अन्य कम्पनियों के पावर टीलर का मूल्य एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लिए परिवहन व्यय को छोड़कर मूल्य में समानता सुनिश्चित किया जाय।

(ii) जिस विक्रेता का 200 या उससे अधिक पावर टीलर की बिक्री होती है उसे अपने दुकान के पास अच्छी कर्मशाला एवं Service center खुलवाया जाय एवं जिस डीलर/विक्रेता का 200 या उससे कम की बिक्री होती है उसे दुकान के पास शिकायत निवारण पोर्टल बनवाया जाय।

(iii) Distributor/Dealer के वर्कशॉप/सर्विस सेन्टर पर Spare part का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो।

(iv) Distributor/Dealer के द्वारा किसानों को कम–से–कम दो दिनों का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो ताकि Operation and maintenance की जानकारी मिल सके। Distributor/Dealer के Website पर प्रशिक्षणार्थियों की सूची उनके पते एवं प्रशिक्षण का फोटोग्राफ के साथ प्रत्येक सीजन में डालने की कार्रवाई किया जाय। विस्तृत रिपोर्ट भी संयुक्त निदेशक (कृषि अभि०) के Review एवं Monitoring के लिए दे सकें।

(v) चायनिज पावर टीलर के सभी आपूर्तिकर्त्ताओं को पावर टीलर के मेक/मॉडल निर्माण का वर्ष इत्यादि से संबंधित Labeling plate पावर टीलर पर लगाना अनिवार्य किया जाय।

(vi) हिन्दी भाषा में सभी डीलर द्वारा सभी लाभार्थी को Operation Manual उपलब्ध करवाया जाय। Pictorial Form में Maintenance का कलेण्डर भी संयुक्त निदेशक (कृषि अभि०) को उपलब्ध कराया जाय।

(vii) वितरक के Website पर विक्रेताओं की सूची एवं निर्गत गारंटी/वारन्टी कार्ड को Display करवाया जाय साथ ही विस्तृत रिर्पोट भी संयुवत्त निदेशक (कृषि अभि०) को भेजवायी जाय।

(viii) पावर टीलर के सभी डीलरों के लिए विक्रय किये गये मशीनों का History Sheet, किसानों से प्राप्त शिकायत निवारण की तिथि इत्यादि संधारण अनिवार्य रूप से करवाया जाय।

अतः उपर्युक्त निदेश का अनुपालन सभी विक्रेताओं/आपूर्त्तिकर्त्ताओं के द्वारा दृढ़ता से करवाया जाय। उक्त निदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किये जाने वाले निर्माताओं को अनुदानित कार्यक्रम से बंचित कर दिया जायेगा।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन
7.9.16
(हिमांशु कुमार राय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :......3809........ /कृ0 पटना .दिनांक:............08-9-...........2016

प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

D:\2016\Month Wise Letter\Sept.-2016.docx